भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1395
03 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छात्रों म मानसिक स्□स्थ्□ □□□ □□स्□

1395. **श्री□ □□□ f□□**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे f□

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2018 □ प्रति□f□□ 28 छात्रों ने आत्महत्या की थी;

(□) □f□ □□,तो छात्रों म मानसिक स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान समस्या को दूर करने के लिए □□□□ □ा क□ □□□-□□□□ □;□□

(ग) क्या इसके लिए कोई विशेष धनराशि □□f□□ □ा □□ □?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की "एक्सिडेंटल डेथ्स एवं सुसाइड्स इन इंडिया 2018" रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वाले कुल 1,34,516 लोगों म से छात्रों की प्रतिशतता 7.6% (10,159 छात्र) थी।

मानसिक विकार का भार समाप्त करने के लिए, भारत सरकार 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ देश के 655 जिलों म (एनएमएचपी) के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन म सहायता दे रही है:-

(i) आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्य-स्थान तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण ओर स्कूलों तथा कॉलेजों म परामर्श सेवाए देना।

(ii) जिला स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन एवं दीर्घ-कालिक सतत परिचर्या सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देना।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य परिचया हेतु अवसंरचना, उपकारण एवं मानव संसाधन के संबंध म सांस्थानिक क्षमता बढ़ाना।

(iv) मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रदायगी म सामुदायिक जागरूकता तथा भागीदारी को बढ़ावा देना।

डीएमएचपी के अंतगत सहायता प्राप्त प्रत्येक जिले को निम्नलिखित उद्देश्य के साथ लक्षित कायकलापों हेतु 12 लाख रू० तक प्रति वष निधि दी जाती है:

(i) छात्रों म जीवन कौशल को बढ़ावा देने हेतु उनके कक्षा-अध्यापकों को सुविधाजनक कौशल प्रदान करना।

(ii) छात्रों म भावात्मक आचरण, स्कूली और मादक द्रव्य उपयोग समस्याओं का पता लगाने हेतु उनके कक्षा-अध्यापकों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना।

(iii) कक्षा-अध्यापकों को, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त छात्रों को, सूचना एवं उपचार हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम को रैफर करने को प्रणाली उपलब्ध करना।

(iv) किशोरों के विकास को बढ़ाने हेतु अभिभावकों, सामुदायिक लीडस आदि जैसे अन्य हितधाकों को शामिल करना।